न्यायालय,

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

–सह–विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0 / एस0टी0)

बेतिया, पश्चिमी चंपारण।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2246 / 2021

अशोक शाही एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य सरकार।

17.12.2021 चौतरवा थाना कांड संख्या– 324 / 2021, धारा– 147, 148, 149, 341, 342, 447, 188, 323, 324, 307, 427, 436, 511, 332, 333, 353, 351, 504, 506 भा0 दं0 वि0 एवं 3 डी0पी0एक्ट तथा 3 (i) (r) (s)/3 (ii) (v)(a) एस0सी0 / एस0टी0 अधिनियम तथा 3 Epidemic Act के अर्न्तगत् गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आवेदक / अभियुक्तगण **1. अशोक शाही 2. विनोद शाही 3. अमित सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को अधिवक्ता श्री सैयद अबू अरशद के द्वारा प्रचालित किया गया जिसका विरोध राज्य के विशेष लोक–अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह, के द्वारा किया गया। कार्यालय से मूल–अभिलेख, प्राप्त हुआ। विशेष लोक अभियोजक द्वारा केस डायरी प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक प्राथमिकी / फर्दबयान के अनुसार यह है कि इस वाद के सूचक बुधन पासवान चौतरवा थाने में चालक सिपाही–16 के पद पर पदस्थापित है। दिनांक–24.10.2021 को समय करीब 11.00 बजे मुखिया पुत्र आनंद शाही एक बच्ची को लेकर अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ थाने आये एवं एक लिखित आवेदन दिये जिस पर थाना प्रभारी महोदय कांड दर्ज कर थाना के जमादार एवं

लगातार

17/12/2021 पुलिस बल को घटनास्थल पर जॉच हेतु भेज दिया। इसी बीच करीब दो बजे आनंद शाही द्वारा बोला गया कि मेरे 02 आदमी को हारे हए प्रत्याशी के पति मनोज शाही गांव में बंद किये हए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष भी स्वयं वहां गये। थाने पर अन्य सशस्त्र बल जो प्राथमिकी में वर्णित है मौजूद थे। इसी बीच समय करीब दो बजकर पैतालीश मिनट पर मनोज साही अपने समर्थकों तथा कुछ बच्चियों के साथ थाना आ गये और कहने लगे कि मुखिया पुत्र आनंद साही झूठा केस करवाने आया है और दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गये एवं मारपीट करने लगे। दोनों तरफ के लोग जख्मी हो गये। निहत्थेकर्मी पर लप्पड़ व थप्पड़ एवं हॉकी स्टीक दिखाकर खदेड़ दिये तथा थाना परिसर में रखे मोटरसाईकिल का शीशा, हेडलाईट, एवं कांड में जब्त स्कारपियों का शीशा तथा थाना में रखे कई मोटरसाईकिल का शीशा एवं टंकी एवं सीस0सी0टी0वी0 कैमरा का तार, टेबुल, कुर्सी, खिड़की का पल्ला एवं स्टेशन डायरी एवं अन्य अभिलेख को फाड़ दिया गया तथा थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया। थाना प्रभारी द्वारा वरीये पदाधिकारी को सूचित किया गया। मुखिया पुत्र ने थाना प्रभारी के कक्ष में महिला सिपाही के साथ धक्का–मुक्की किया। घटना का विडियों बनाते चौकीदार का मोबाईल अमित साही छिनकर गाली–गलौज करते हुए तोड़ दिया। सूचक के द्वारा बीच–बचाव करने पर उनको गाली–गलौज किया गया। धकेलने के कारण महिला कर्मी एवं सूचक को चोट आया। अभियुक्त द्वारा फोन करके बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया। विपक्षी मनोज साही भी अपने समर्थकों को बुला लिया एवं सी0सी0टी0स0वी0 कैमरा एवं बिजली का तार नोंच दिये। आनंद शाही स्टेशन डायरी एवं अभिलेखों को फाड़ दिया तथा थाना परिसर में रखे अन्य सामानों के साथ तोड़फाड़ किया गया। थाना पर उपस्थित चौकीदारों ने उपद्रवियों की पहचान की जिनमें आवेदक/अभियुकतगण एवं प्राथमिकी के नामित अन्य सह अभियुक्तगण शामिल थे।

17/12/2021 आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचीगण बिल्कुल निर्दोष है। इस वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा कोई अन्य जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में ही दाखिल की गई है। आवेदक/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है तथा गॉव की गंदी राजनीति के तहत आवेदकगण पर असत्य केस दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि जिस प्रकार का आरोप लगाया गया है वैसी कोई घटना उनके द्वारा कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण पर एस0सी0/एस0टी0 एक्ट लागू नहीं होता है क्योंकि घटना सार्वजनिक स्थल पर घटित नहीं हुई है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि पर किसी भी राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। अतः अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

राज्य की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध केस डायरी में पर्याप्त सामग्री है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। अतः अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा कार्यालय से प्राप्त अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि सूचक के द्वारा एफ0 आई0 आर0 दिनांक–24/10/2021 को दर्ज कराया गया। **अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान जारी है।**

लगातार **अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2246/2021** 04

17/12/2021 विशेष लोक–अभियोजक द्वारा केस–डायरी प्रस्तुत की गयी। केस–डायरी के अवलोकन से इस कांड में आवेदक/अभियुक्तगण की **संलिप्ता प्रतीत होती है। केस–डायरी में दोनों जख्मी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन है एवं आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्ता बतायी है।**

अभिलेख अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तहत आवेदन पढ़ने से बनता प्रतीत होता है। अनुसंधान अभी जारी है। अतः ऐसी परिस्थिति में **अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो अभियुक्तगण के द्वारा साक्ष्य तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है।** आवेदक/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप गैर–जमानतीय प्रकृति की है।

अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा कारित गंभीर अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए अग्रिम जमानत पर छोड़ना उचित नहीं समझता हूँ। अतः अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक, अभियुक्तगण **1. अशोक शाही 2. विनोद शाही 3. अमित सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज की जाती है।

लेखापित

प्रथम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

–सह–विशेष न्यायाधीश,

(एस0सी0/एस0टी0)

बेतिया, पश्चिमी चंपारण।

दिनांकः– 17/12/2021